



7001/ई0एस0आई0/उपनल/2024

15 मार्च 2024

सेवामें,


समस्त विभाग  
जिला- चमोली, रुद्रप्रयाग एवं उत्तरकाशी

### कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के सम्बन्ध में

महोदय,

- उपरोक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधिसूचना संख्या 1195 नई दिल्ली दिनांक 08 मार्च 2024 के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 01 अप्रैल 2024 से उत्तराखण्ड राज्य (गढ़वाल मण्डल) के चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के सभी क्षेत्रों में ई0एस0आई0सी0 के अर्न्तगत आ गये है (पत्र की छायाप्रति सलग्न)
- अवगत कराना है कि आपके विभाग में उपनल के माध्यम से जो भी कार्मिक कार्यरत है, और उनका वेतन रु. 21000/- से कम है। कृपया आप उन्हें निर्देशित करने का कष्ट करें, कि आप लोग उपनल वेब साईट (UPNL.CO.IN) में जाकर ई0एस0आई0 फार्म को प्रिंट करें और ई0एस0आई0 फार्म के ऊपर अपना विभाग का नाम, स्थान व पद को अंकित करें, और फार्म पर दिये गये निर्देश के अनुसार भर कर व उसके साथ समस्त कागजात (फार्म भरने के लिए आवश्यक निर्देश) के अनुसार उपनल कार्यालय देहरादून को शीघ्र से शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि उपनल कार्यालय उस पर ससमय कार्यवाही कर सके।
- उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी कर्मचारी को फार्म भरने में कोई परेशानी होती है तो वह मार्ग दर्शन के लिए फोन नम्बर - 0135-2978304 पर सम्पर्क कर सकते है।

भवदीय



DGM  
Uttarakhand Purv Sainik  
Kalyan Nigam Ltd.  
Dehradun (Uttarkhand)



सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032024-252923  
CG-DL-E-13032024-252923

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1195]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 12, 2024/फाल्गुन 22, 1945

No. 1195]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 2024/PHALGUNA 22, 1945

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2024

का.आ. 1257(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अप्रैल, 2024 को, उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस पर उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध उत्तराखण्ड राज्य के अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों के सभी क्षेत्रों में, प्रवृत्त होंगे, अर्थात्,—

- धारा 38 से धारा 43;
- धारा 45क से धारा 45ज;
- धारा 46 से धारा 73;
- धारा 74 से धारा 75;
- धारा 76 की उपधारा (2) से उपधारा (4); और
- धारा 82 और धारा 83।

[फा. मं. एस-38013/01/2024-एसएस-1]  
आलोक चंद्रा, ज्येष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार

## MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

## NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March 2024

**S.O. 1257(E).**—In exercise of the powers conferred by sub section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the **1st day of April, 2024**, as the date on which the following provisions of the said Act, shall come into force in all areas of the **Almora, Bageshwar, Chamoli, Champawat, Pithoragarh, Rudrapur and Uttarkashi districts, in the State of Uttarakhand**, namely,—

- (i) sections 38 to 43;
- (ii) sections 45A to 45H;
- (iii) sections 46 to 73;
- (iv) sections 74 and 75;
- (v) sub-section (2) to (4) of section 76; and
- (vi) sections 82 and 83.

[F. No. S-38013/01/2024-SS-I]

ALOK CHANDRA, Senior Labour and Employment Adviser